न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-269/2026
Murliganj P.S. Case No.-44/2026

1. नवीन यादव उम्र करीब 45 वर्ष पिता– छब्बू यादव
2. सुशील यादव उम्र करीब 40 वर्ष पिता– छब्बू यादव

(दोनो साकिन –कोल्हायपट्टी, वार्ड संख्या–07, थाना– मुरलीगंज एवं जिला– मधेपुरा।)
.....अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

21-05-2026 जमानत आवेदन अभियुक्तगण **नवीन यादव एवं सुशील यादव** के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड संख्या–44/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 117(2), 109/3(5) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष मुरलीगंज रामचंद्र यादव के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 18.01.2026 रोज रविवार समय करीब 06:00 बजे सुबह में आपराधिक षडयंत्र रचकर हरवे हथियार से लैष होकर नविन यादव, सुशिल यादव, छब्बू यादव, निक्कू कुमार सभी साकिन कोल्हायपट्टी, वार्ड नं0–7 का स्थायी निवासी है। रामचंद्र यादव अपने निजी हिस्से वाली जमीन में करची रखा था नविन यादव अपने घर से आकर गाली देते हुए कहा हमारे जमीन में से करची हटाओ सूचक अपने आंगन में गए तो नविन यादव लोहे का रड से उसके उपर प्रहार किया जिसमें उसके माथा पर एक रड दिया माथा फट गया और दूसरे रड उसके बांह पर लगा उसका बांह टूट गया। उसी कम में सूचक की बेटी प्रीति कुमारी बचाने गई तो उसकी बेटी को बाल पकड़कर गाल पर मारा फिर जमीन पर पटक दिया सुशिल यादव और उसकी बेटी के गले से सोने का चेन कीमत लगभग 15,000/– रूपया का था तोड़ कर ले लिया उसी दरबियान उसका लड़का दौड़कर आया तो छब्बू यादव उसके लड़का के उपर दबिया से प्रहार किया किसी तरह दबिया से उसका लड़का बच गया और उसकी पत्नी आयी और सूचक को बेहोष हालत में देखी तो वे चिल्लाने लगे और चिल्लाने की आवाज सुनकर अगल–बगल के ग्रामीण पहुंचे तो किसी तरह सूचक को मुरलीगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया तो उसकी जान बच पायी और अभी इलाजरत है। इससे पहले कई बार सूचक से मारपीट किया है जिसका सबूत सूचक के पास है। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व मुरलीगंज़ थाना कांड़ संख्या– 44/2026 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109/3(5) बी.एन.एस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री हुपेश कुमार, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि पूर्व में आवेदकगण की ओर से इससे पहले इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन दाखिल नही की गई है और न ही उसे खारिज किया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है जिसे जमीनी विवाद के कारण इस झुठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदकगण के द्वारा उस तरह की कोई घ टना कारित नही किया गया है बल्कि सत्यता यह है कि आवेदकगण की पत्नी अपने बाड़ी में रखे करची का जलावन लाने गयी थी जिसे इस मुकदमें के सूचक अन्य मिलकर आवेदक सुशील यादव की पत्नी के साथ

21-05-2026
लगातार.....

गाली–गुप्ता व मारपीट किये एवं दुबारा बाड़ी में आने पर जान से मारने की धमकी दिये जिस बात को लेकर आवेदक की पत्नी ने सूचक एवं अन्य पर मुरलीगंज थाना कांड संख्या– 51/2026 दर्ज करवाई जिससे बचने के लिए सूचक ने यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाये है। आवेदक एवं सूचक एक ही परिवार के है जिन्होंने यह झूठा एवं मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करवाये है। सूचक एवं आवेदकगण के बीच पलटा मुकदमा है। घटना के एक सप्ताह के बाद सूचक ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है और विलंब का कोई कारण भी नही दर्षाया है। आवेदकगण पर मारने अथवा छिनने का कोई विषिष्ट आरोप नही है। धारा 109 बी.एन.एस को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति के है एवं आवेदकगण पर उक्त धारा प्रयोज्य नही होता है। आवेदकगण अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि Litigants are neighbors. Informant Ramchandra Yadav kept stack of bamboo sticks in his courtyard. Naveen Yadav abused him and ordered to remove stack of bamboo stick from his land. Infuriated Naveen Yadav assaulted informant/victim with iron rod on his scalp which received injury. Naveen Yadav also assaulted victim with iron rod over his forearm. Daughter of informant Priti Kumari intervened and she was caught by locks of her hair and taken out gold chain by Sushil Yadav. Chhabu Yadav assaulted informant's son by "Dabiya". All victims were taken to Murliganj Government Hospital. Para 19 of the case diary is the injury report of informant/victim Rajendra Yadav which stated swelling on forearm with abrasion caused by hard and blunt substance and simple in nature. None of other victims received any injury. The nature of injury caused did not support the allegations by informant contained in FIR/Prosecution case. Para 3 of the bail application stated that petitioner has no criminal antecedent. Having considered the nature of allegaton, litigants are neighbours and the injuries sustained by informant, I am inclined to enlarge the petitioner on bail upon arrest/surrender before the court below within 15 days from this order upon submitting bail bond of Rs. 20,000/- each and one sureties shall be family member or close relative. Petitioners shall file undertaking to be present physically till framing of charge.

हस्ताक्षरित

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह –स्पेशल जज, मधेपुरा ।